पर्यटन अध्ययन संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
INSTITUTE OF TOURISM STUDIES
MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH, VARANASI

पर्यटन अध्ययन संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में स्ववित्तपोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत् वर्ष 2002 में हुई जिसका अध्यादेश विद्यापरिषद की बैठक दि. 18.12.2001 द्वारा स्वीकृत एवं कार्यपरिषद की बैठक दि. 17.03.2002 द्वारा अनुमोदित कर शासन को प्रेषित किया गया। सत्र 2002–2003 से ही स्नातकोत्तर स्तर पर एम.टी.ए.(मास्टर ऑफ टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन) पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। सत्र 2006–2007 से मानविकी संकाय के अन्तर्गत् स्नातक स्तर पर एक स्ववित्तपोषित विषय के रूप में 'पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध' भी संस्थान द्वारा संचालित है। संस्थान के परिनियमन का प्रस्ताव विद्यापरिषद की बैठक दि. 30.12.08 द्वारा स्वीकृत एवं कार्यपरिषद की बैठक दि. 22.05.2009 द्वारा अनुमोदित कर शासन को प्रेषित किया गया है।

जहां तक संज्ञान में है एम.टी.ए.(मास्टर ऑफ टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन) अथवा किसी भी अन्य नाम से पर्यटन विषय का स्नातकोत्तर स्तर पर संचालन वर्तमान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध हो रहे किसी भी महाविद्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। स्नातक स्तर पर एक स्ववित्तपोषित विषय के रूप में 'पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध' का पाठ्यक्रम उदय प्रताप स्वायत्तशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा संचालित है जो पूर्णतया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्नातक पाठ्यक्रम के अनुरूप है। अतः पर्यटन विषय के संबंध में किसी भी प्रकार की विसंगति संबंद्धता के प्रसंग में नहीं है। भविष्य में किसी संबंद्ध महाविद्यालय द्वारा यह पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने की स्थिति में पर्यटन अध्ययन संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की संचालन समिति द्वारा इसका अनुमोदन अपेक्षित होगा जिसमें नियमानुसार संबंधित महाविद्यालय या महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व भी संभव होगा।

राष्ट्ररत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त पर्यटन अध्ययन संस्थान
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

अध्यादेश

1. <u>औचित्य एवं उद्देश्य–</u>

"पर्यटन अध्ययन संस्थान", महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की स्थापना 17 मार्च, 2002 को हुई और आगे इसका नाम विश्वविद्यालय के संस्थापक के नाम से जुड़कर "राष्ट्ररत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त पर्यटन अध्ययन संस्थान" हो गया। पर्यटन अध्ययन केंद्र की स्थापना का आधारभूत विचार मानवीय तत्त्व एवं चेतना के अनुरूप व्यावसायिक अध्ययन की धारा से जुड़ना है। इसके अतिरिक्त एक ओर तेज़ी से बढ़ते हुए पर्यटन उद्योग के लिए प्रशिक्षित व्यवसायिकों एवं प्रशासकों की आवश्यकता को पूरा करना और दूसरी ओर अपने छात्रों के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना है। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं वाराणसी नगर दोनों की ही पृष्ठभूमि इस प्रकार के शैक्षिक प्रयोग के लिए पूर्णतया उपयुक्त है। वाराणसी लम्बे समय से विश्व के पर्यटन मानचित्र पर बना होने के साथ ही हिन्दुओं, बौद्धों, जैनियों के लिए विशेष रूप से एक महान तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित है। जबकि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ अपने सामाजिक दायित्त्व बोध के साथ ही विशेष रूप से कमज़ोर आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित पूर्वान्चल के छात्रों को उनके सीमित साधनों में ही शिक्षण–प्रशिक्षण के अग्रगणी एवं नवीन पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प रहा है।

<u>उद्देश्य–</u>

पर्यटन अध्ययन संस्थान का स्पष्ट उद्देश्य पर्यटन उद्योग में उद्यमियों और सेवानियोजन की दृष्टि से प्रशिक्षित रत्नों के रूप में छात्रों को शिक्षित–प्रशिक्षित करना मात्र ही नहीं है, बल्कि पर्यटन के विकास के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सृजनशील एवं कल्पनाशील व्यक्तियों का भी निर्माण करना है।

पर्यटन उद्योग स्वयं में अनेक ऐसे गुणों से युक्त है जो पर्यटक एवं उद्योग दोनों को ही समान रूप से लाभान्वित करते हैं। यह विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत है, कला, शिल्प स्मारकों, धरोहरों, वन्य जीवन एवं प्रकृति संरक्षण एवं उद्धार की प्रेरणा देता है तथा पर्यावरण एवं पर्यटन उत्पादों को बनाए रखने और विकसित करने की चेतना पैदा करता है। यह परिवहन एवं होटल उद्योग को विकसित करता है तथा स्वरोज़ग़ार के अवसर प्रदान करता है। अतः संस्थान का उद्देश्य अपने प्रशिक्षुओं एवं शिक्षकों के माध्यम से पर्यटन उद्योग/व्यवसाय एवं शासकीय संस्थाओं के साथ सहकार एवं समन्वय स्थापित कर ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना भी है जिससे पर्यटन को वर्षपर्यन्त बनाए रखा जा सके।

संस्थान का एक पवित्र उद्देश्य "वसुधैव कुटुम्बकम्" के दर्शन का व्यावहारिक अर्थ प्रदान करने के लिए सम्यक दृष्टि एवं प्राचीनतम् काल से अब तक मानवता के सर्वांगीर्ण विकास से जुड़े विभिन्न गुणों एवं उपलब्धियों का ज्ञान प्रदान करना है।

उपर्युक्त विचारों के साथ पर्यटन अध्ययन संस्थान पर्यटन तथा सम्बन्धित क्षेत्र से जुड़े अध्ययन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तदनुसार संस्थान पर्यटन में "मास्टर ऑफ़ टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन", शोध एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ ही स्नातक स्तर पर भी एक विषय के रूप में 'पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन'का संचालन करेगा। इस पर्यटन पाठ्यक्रम की विशेषता पर्यटन उद्योग के लिए आवश्यक तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करने के साथ ही अपनी संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत को ठीक से समझने और प्रस्तुत करने की क्षमता पैदा करना है।

2. **संकायः** उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत संस्थान
3. **विभाग/संस्थान का नामः** राष्ट्ररत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त पर्यटन अध्ययन संस्थान

4. **उपाधि का नामः** मास्टर ऑफ़ टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन
स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में 'पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन';
'पी. जी. डिप्लोमा इन टूरिज़्म स्टडीज़'
'पी. जी. डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेन्ट'
पीएच. डी.

5. उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के लिए किसी प्राधिकृत संस्था जैसे AICTE, NCTE, BCI, एवं अन्य से मान्यता की आवश्यकता नहीं होगी।

6. **पाठ्यक्रम की अवधिः** मास्टर ऑफ़ टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन–चार सेमेस्टर युक्त द्विवर्षीय
'पी. जी. डिप्लोमा इन टूरिज़्म स्टडीज'–दो सेमेस्टर युक्त एक वर्षीय पाठ्यक्रम
'पी. जी. डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेन्ट''–दो सेमेस्टर युक्त एक वर्षीय पाठ्यक्रम

7. **प्रवेश की अर्हता एवं प्रक्रियाः** स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होगी। प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की प्रणाली अपनाई जाएगी। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के साथ ही समूह–चर्चा एवं व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार में सम्मिलित होना होगा। शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी भाषा होने के कारण अभ्यर्थियों को इसमें पर्याप्त योग्यता रखनी होगी। समूह–चर्चा एवं व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए कुल स्थानों के चार गुना अभ्यर्थियों को आमन्त्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा, समूह–चर्चा एवं व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए क्रमशः 125, 25 एवं 25 अंक निर्धारित होंगे।

8. **पाठ्यक्रम में स्थानों का विवरणः** मास्टर ऑफ़ टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम में अधिकतम साठ स्थान होंगे। 'पी. जी. डिप्लोमा इन टूरिज़्म स्टडीज' तथा 'पी. जी. डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेन्ट' पाठ्यक्रम में अधिकतम तीस–तीस स्थान होंगे। स्थानों का निर्धारण आरक्षण के शासकीय नियमानुसार होगा। तदनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 21 और 2 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत स्थान सुरक्षित होंगे। रिक्त स्थानों पर आरक्षण के नियमानुसार योग्यताक्रम से प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्राप्त सभी छात्रों पर समान अध्यादेश एवं नियम लागू होंगे।

9. **पाठ्यक्रम का स्वरूपः एम.टी.ए.** पाठ्यक्रम के चार सेमेस्टर में मौखिकी, समर ट्रेनिंग रिपोर्ट एवं लघु शोध प्रबन्ध के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के वैकल्पिक प्रश्नपत्रों सहित कुल 36 प्रश्नपत्रों में से कुल 26 सैद्धान्तिक

प्रश्नपत्र उत्तीर्ण करने होंगे। जिनका विस्तृत विवरण प्रश्नपत्रों के नाम सहित निम्नवत् हैं–

प्रथम सेमेस्टर

कोड 101	प्रिंसिपल्स ऐण्ड कन्सेप्ट्स ऑफ़ टूरिज़्म ऐण्ड मैनेजमेंट	100(70+30)
कोड 102	मैनेजमेंट ऑफ़ टूरिज़्म इण्डस्ट्री	100(70+30)
कोड 103	इण्ट्रोडक्शन ऑफ़ कम्प्यूटर्स	100(70+30)
कोड 104	कम्यूनिकेशन स्किल ऐण्ड पर्सनैलिटी डेवेलपमेंट	100(70+30)
कोड 105	टूरिस्ट ट्रान्सपोर्टेशन	100(70+30)
कोड 106	इण्डियन हिस्ट्री प्रथम एवं ऑर्कियोलॉजी	100(70+30)
कोड 107	इण्डियन सोसाइटी ऐण्ड कल्चर	100(70+30)

द्वितीय सेमेस्टर

कोड 201	टूरिज़्म प्रोडक्ट्स	100(70+30)
कोड 202	टूरिज़्म मार्केटिंग मैनेजमेंट	100(70+30)
कोड 203	ट्रैवल एजेंसी ऐण्ड टूर पैकेट मैनेजमेंट	100(70+30)
कोड 204	होटल ऐण्ड रिसॉर्ट मैनेजमेंट	100(70+30)
कोड 205	मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम	100(70+30)
कोड 206	इण्डियन हिस्ट्री द्वितीय एवं कॉन्स्टीट्यूशन	100(70+30)
कोड 207	एयर ट्रैवेल मैनेजमेंट	100(70+30)

तृतीय सेमेस्टर

कोड 301	ऑर्गेनाइज़ेशनल ऐण्ड कन्ज़्यूमर बिहेवियर	100(70+30)
कोड 302	ज्योग्रैफ़ी ऑफ़ टूरिज़्म	100(70+30)
कोड 303	इण्डियन आर्ट	100(70+30)
कोड 304	फ़ॉरेन लैंगुएज (फ्रेंच / जर्मन / जैपनीज़ / स्पैनिश / रशियन)	100(70+30)
कोड 305क	एकाउन्टिंग ऐण्ड फ़ाइनैन्शियल एनालिसिस	100(70+30)
	अथवा	
कोड 305ख	इण्टरनेशनल फ़ाइनैन्शियल मैनेजमेंट	
	अथवा	
कोड 305ग	इण्टरनेशनल एकाउन्टिंग	

कोड 306क	रिसर्च मेथोडोलॉजी इन टूरिज़्म	100(70+30)
	अथवा	
कोड 306ख	मैनेजिरियल स्किल्स ऐण्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी	
	अथवा	
कोड 306ग	सर्फ़ेस ट्रान्स्पोर्ट इन ट्रैवेल ऐण्ड टूरिज़्म	
	अथवा	
कोड 306घ	मैनेजमेंट ऑफ़ इनबाउण्ड ऐण्ड आउटबाउण्ड टूर्स	
कोड 307	ट्रेनिंग रिपोर्ट	100

चतुर्थ सेमेस्टर

कोड 401	इमर्जिंग ट्रेण्ड्स इन टूरिज़्म, पॉलिसी ऐण्ड लॉस़	100(70+30)
कोड 402	फ़ॉरेन लैंगुएज (फ़्रेंच / जर्मन / जैपनीज़ / स्पैनिश / रशियन)	100(70+30)
कोड 403	इण्टरनेशनल टूरिज़्म	100(70+30)
कोड 404	फ़ाइनैन्शियल मैनेजमेंट इन टूरिज़्म	100(70+30)
कोड 405क	ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट	100(70+30)
	अथवा	
कोड 405ख	लीगल फ़्रेंम वर्क गवर्निंग ह्यूमन रिलेशन्स	
	अथवा	
कोड 405ग	रूरल टूरिज़्म	
कोड 406क	गाइडिंग स्किल ऐण्ड विसिटर्स इन्टरप्रिटेशन	100(70+30)
	अथवा	
कोड 406ख	कल्चरल टूरिज़्म	
	अथवा	
कोड 406ग	पिल्ग्रिमेज टूरिज़्म	
	अथवा	
कोड 406घ	ऐडवेन्चर ऐण्ड वाइल्ड लाइफ़ टूरिज़्म मैनेजमेंट	
कोड 407	डिस़र्टेशन ऐण्ड मौखिकी	100(75+25)
	कुल अंक	**2800**

स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में **'पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन'** के पाठ्यक्रम को **यू. जी. सी. द्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम** के ही अनुरूप यथावत अपनाया गया है।

'पी. जी. डिप्लोमा इन टूरिज़्म स्टडीज़' के अन्तर्गत एम.टी.ए. पाठ्यक्रम के प्रथम दो सेमेस्टर के प्रश्नपत्र सम्मिलित किए जाएँगे।

‘पी. जी. डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेन्ट’

10. विभिन्न प्राधिकृत परिषद्/समितियों द्वारा अनुमोदनः

एम.टी.ए. पाठ्यक्रम एवं संस्थान के अध्यादेश को **विद्यापरिषद्** की बैठक दिनांक **18.12.2001** में प्रस्तावित एवं पारित किया गया और **कार्यपरिषद्** की बैठक दिनांक **17.03.2002** द्वारा अनुमोदित किया गया। पुनः **संचालन समिति** की बैठक के प्रस्ताव के अनुसार **विद्यापरिषद्** की बैठक दिनांक **29.10.2002** में **एम.टी.ए.** पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्रों के नामों तथा क्रमों में कतिपय परिवर्तनों को पारित किया गया। **विद्यापरिषद्** की बैठक दिनांक **18.04.2003** के द्वारा संस्थान का नाम **‘राष्ट्ररत्न बाबू शिवप्रसाद गुप्त पर्यटन अध्ययन संस्थान’** स्वीकृत हुआ। दिनांक **22.12.2003** को संस्थान की **संचालन समिति** के निर्णय तथा **कार्यपरिषद** की बैठक दिनांक **20.03.2004** के निश्चय एवं दिनांक **14.06.2004** को सम्पादित **वित्त समिति** की बैठक द्वारा संस्थान में एक **प्लेसमेन्ट अधिकारी** का पद सृजित किया गया। संस्थान की **संचालन समिति** के दिनांक **21.02.2005** के प्रस्ताव पर **संकाय समिति (मानविकी संकाय)** की बैठक दिनांक **27.04.2005** तथा **विद्यापरिषद्** की बैठक दिनांक **23.03.2005** के अनुमोदन के अनुसार **स्नातक स्तर पर सत्र 2005–2006** से **‘पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन’** को एक विषय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया। पुनः **संचालन समिति** की दिनांक **08.04.2008** की बैठक में संस्थान के लिए चार प्रवक्ताओं के प्राविधान तथा **एम.टी.ए.** पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्रों के नामों एवं क्रमों में कतिपय संशोधनों को स्वीकृत किया गया। पाठ्यक्रम के संशोधित स्वरूप के साथ संस्थान को परिनियमित करने के सम्बन्ध में **विद्यापरिषद्** की बैठक दिनांक **30.12.2008** में पर्यटन अध्ययन संस्थान को **उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–44** के अधीन परिनियम **7.01 (ज)** के पश्चात् **‘‘संस्थान’’** शीर्षक के अन्तर्गत् परिनियम खण्ड **7.01 झ** के बाद **(ञ)** को बढ़ाए जाने सम्बन्धी परिनियम संशोधन के प्रारूप को स्वीकार किया गया और **कार्यपरिषद्** की बैठक दिनांक **22.05.2009** में अनुमोदित किया गया।

11. परीक्षा नियमावलीः किसी भी अभ्यर्थी को सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने की तभी अनुमति मिलेगी जबकि उसे कक्षा परीक्षणों में सम्मिलित

होने की अनुमति मिल गयी हो तथा वह सेमेस्टर के प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम 75 प्रतिशत व्याख्यानों में उपस्थित रहा हो।

प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन आन्तरिक मूल्यांकन तथा सेमेस्टर के अन्त में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर होगा जिसके लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में क्रमशः 30 और 70 अंक निर्धारित होंगे।

आन्तरिक मूल्यांकन में अधोलिखित आधार पर अंक प्रदान किए जाएँगे–

(1) कक्षा में ली गयी तीन परीक्षाओं के अंक	20 अंक
(2) प्रदत्त कार्य / सेमिनार	05 अंक
(3) कक्षा प्रतिभागिता / उपस्थिति तथा सामान्य अनुशासन	05 अंक
सम्पूर्ण अंकों का योग	**30 अंक**

नियमित विद्यार्थी के रूप में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंक उनके परीक्षाफल में सम्मिलित किए जाएँगे।

सेमेस्टर परीक्षा शैक्षणिक सत्र के अनुसार आयोजित होगी। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए सेमेस्टर की लिखित परीक्षा की अवधि तीन घण्टे होगी और प्रत्येक प्रश्नपत्र **70 अंक** का होगा। प्रश्नपत्रों में सभी निबन्धात्मक एवं लघु उत्तर वाले प्रश्न अनिवार्य होंगे। निबन्धात्मक प्रश्न आन्तरिक विकल्पों के साथ होंगे। तृतीय सेमेस्टर में सातवाँ प्रश्न–पत्र समर ट्रेनिंग रिपोर्ट के रूप में होगा जो कुल 100 अंक का होगा। चतुर्थ सेमेस्टर में सातवें प्रश्न–पत्र के रूप में 75 अंक का लघुशोध प्रबन्ध (डिज़र्टेशन) तथा 25 अंक की मौखिक होगी।

12. आय–व्यय विवरण: संस्थान एवं पाठ्यक्रम का संचालन स्ववित्तपोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा और विश्वविद्यालय पर इसका कोई अधिभार नहीं होगा। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पर्यटन अध्ययन संस्थान के स्वतन्त्र बैंक खाता की व्यवस्था होगी।

शुल्क ढाँचा: शिक्षण शुल्क एवं अन्य देय विश्वविद्यालय के नियम एवं परिनियम के अनुसार समय–समय पर निश्चित किए जाएँगे।

क. वर्तमान शुल्क ढाँचाः (एम.टी.ए. पाठ्यक्रम)

शिक्षण शुल्क	**रू0 13000.00/वार्षिक**
व्यावहारिक कार्य शुल्क	**रू0 2000.00/वार्षिक**
कुल शुल्क	**रू0 15000.00/वार्षिक**

तदनुसार परीक्षा शुल्क एवं अन्य देयों को
छोड़कर **द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का कुल शुल्क** **रू0 30000.00**

ख. संकाय शिक्षकों की संख्याः (एम.टी.ए. पाठ्यक्रम)

दस माह का शिक्षण कार्यभार

एम.टी.ए. के चार सेमेस्टर के वैकल्पिक प्रश्नपत्रों सहित कुल प्रश्नपत्रों की संख्या	**= 36**
प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए आवश्यक व्याख्यानों की कुल संख्या	**= 80**
एम.टी.ए. पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक व्याख्यानों की कुल संख्या	**36x80=2880**

उपर्युक्त कार्यभार के अनुसार प्रतिसप्ताह शिक्षकों की आवश्यकता

एक प्लेसमेंट अधिकारी सहित प्रवक्ताओं की कुल संख्या	**05 (04+01)**
प्रति सप्ताह एक प्रवक्ता पर कुल शिक्षण कार्यभार	**18 व्याख्यान**
प्रति सप्ताह चार प्रवक्ताओं पर कुल शिक्षण कार्यभार	**4X18=72 व्याख्यान**
प्रति माह चार प्रवक्ताओं पर कुल शिक्षण कार्यभार	**72x04=288 व्याख्यान**
दस माह में प्रवक्ताओं पर कुल शिक्षण कार्यभार	**288x10=2880 व्याख्यान**

संविदात्मक कोर फ़ैकल्टी, अतिथि प्रवक्ताओं एवं अन्य पदों की व्यवस्था विश्वविद्यालय की स्ववित्तपोषित कार्यक्रम की नियमावली के अनुसार की जाएगी।

दिनांक 22.12.2003 को संस्थान की संचालन समिति के निर्णय तथा कार्यपरिषद की बैठक 20.03.2004 के निश्चय एवं 14.06.2004 को

सम्पादित वित्त समिति की बैठक द्वारा संस्थान में पूर्व से ही एक प्लेसमेन्ट अधिकारी का पद सृजित है।

ग. आय का स्वरूपः (एम.टी.ए. पाठ्यक्रम)

शिक्षण शुल्क प्रति छात्र	**रू0 13000 x 60 (स्थान प्रथम वर्ष में)**	**=रू0 780000=00**
शिक्षण शुल्क प्रति छात्र	**रू0 13000 x 60 (स्थान द्वितीय वर्ष में)**	**=रू0 780000=00**
एक वर्ष में कुल शिक्षण शुल्क		**= रू0 1560000=00**
विश्वविद्यालयीय विकास अंश	**40 %**	**= रू0 624000=00**
विभागीय अंश	**60 %**	**= रू0 936000=00**
फ़ील्ड वर्क शुल्क प्रति छात्र	**रू0 2000 x 60 (स्थान प्रथम वर्ष में)**	**= रू0 120000=00**
फ़ील्ड वर्क शुल्क प्रति छात्र	**रू0 2000 x 60 (स्थान द्वितीय वर्ष में)**	**= रू0 120000=00**
कुल फ़ील्ड वर्क शुल्क एक वर्ष में		**= रू0 240000=00**

नोटः फ़ील्ड वर्क शुल्क पूर्णतया सम्बन्धित सत्र के फ़ील्ड वर्क एसाइन्मेन्ट, व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्लेसमेन्ट कार्यों, यात्राओं एवं इन्टरेक्शन कार्यक्रम पर व्यय होगा। यह मद विश्वविद्यालयीय विकास अंश का अंग नहीं होगा।

एक वर्ष में कुल आय **रू0 1560000=00 + रू0 240000=00 =रू0 1800000=00**

विभागीय अंश **(60%)** से एक वर्ष में अनुमानित व्यय का विवरण

क. आवर्त्तक व्ययः

शिक्षण मानदेय (चार प्रवक्ता एवं एक प्लेसमेन्ट अधिकारी)

कार्यालयीय कर्मचारी (एक कार्यालयीय सहायक, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)
कार्यालयीय सामग्री
टेलीफोन एवं इन्टरनेट
विज्ञापन, ब्रॉशर एवं सोवेनियर
सेमिनार्स एवं कॉनफ़्रेन्सेस़
ओरिएण्टेशन व्याख्यान

ख. अनावर्त्तक व्यय
फ़र्नीचर एवं उपकरण
पुस्तक एवं जर्नल्स
भवन एवं रखरखाव
कम्प्यूटर प्रयोगशाला आदि

स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन पाठ्यक्रम तथा पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के शुल्क तथा आय–व्यय का विवरण विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा।

विभागाध्यक्ष/निदेशक | संकायाध्यक्ष

ORDINANCE FOR THE RASHTRARATNA BABU SHIVA PRASAD GUPTA INSTITUTE OF TOURISM STUDIES MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH, VARANASI

1. **Relevance and Objective:**

The **Institute of Tourism Studies** in Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi was established on 17th of March, 2002 under the self financed scheme of the University and was later named after **Rashtraratna Babu Shiva Prasad Gupta,** the founder of the University. The idea behind opening this Center of Tourism Studies has been to join the stream of professional studies in a manner to suit the humane element and spirit worthy to cater to the demands of professionals and administrators in fast growing tourism industry on the one hand and provide job opportunities to our students on the other. The university M.G. Kashi Vidyapith and the city Varanasi are best suited to this educational venture considering the background and surroundings of both. Varanasi has long been on the world tourism map as well as a place of pilgrimage for Hindus, Buddhists and Jains in particular. Whereas, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith is known for its thrust for social awareness programmes and as an on-looking institute of learning particularly for those students of Purvanchal who come from poor economic and social background and who deserve up-to-date and advance programmes of learning with their limited resources.

Objective: The Institute of Tourism Studies has a clear objective of training students for joining tourism industry as excellent gems just not as employees or entrepreneurs but also as innovators and visionaries for promoting tourism in order to play an important role in the process of national development.

Tourism in itself encompasses several virtues which benefit both the clientage and industry at the same time. It fetches foreign currency, enthuses preservation and conservation of heritage, monuments, traditional arts and crafts, wild-life and natural beauties in many ways and awareness about ecology and sustainability of the tourism products. It leads to the growth of transport and hotel industry and provides opportunities of self-employment in a number of ways. Hence, the institute intends to help sustain tourism round the year with schemes and

programmes innovated by its trainees and faculty in coordination with the industry/trade and governmental organizations.
A pious objective of the institute is to give the themes "vasudhaiva kutumbakam" and "atithi devo bhava" a real meaning through tourism studies by imparting knowledge with a rational outlook and comprehension of different virtues and achievements of humanity all around the world from times immemorial to the present days.

Keeping all this in view the Institute of Tourism Studies is to act as a nodal center for studies related to tourism and related field. The institute has to be responsible for conducting programmes like MTA, Ph.D. and Diplomas in tourism and related fields besides running 'Tourism and Travel Management' as a subject at Under-Graduate level. The specialty of this programme lies in developing proper understanding and skill for presentation of our culture and cultural heritage besides imparting essential technological, managerial and professional knowledge to the students.

2. **Faculty**: Institute under section 44 of the UP Universities Act.

3. **Name of the Department/Institute**: The name of the Institute is **'Rashtraratna Babu Shiva Prasad Gupta Institute of Tourism Studies'**.

4. **Nomenclature of the Degree:** The Institute is to confer the degree of **'Master of Tourism Administration'** at the post graduation level.
   'Tourism and Travel Management' as a subject at Under-Graduate level.
   P.G. Diploma in Tourism Studies
   P.G. Diploma in Hospitality Management
   Ph.D.

5. There will be no requirement of recognition of any regulatory bodies like AICTE, NCTE, BCI or others.

6. **Course Duration: 'Master of Tourism Administration'-**Course Duration will be of two years including four semesters.
   '**P.G. Diploma in Tourism Studies'-**Course Duration will be of one year including two semesters.
   'P.G. Diploma in Hospitality Management'-Course Duration will be of one year including two semesters.

7. **Admission Criteria & Procedure:** The minimum eligibility for admission in the post-graduate courses will be a graduation degree from any recognized university in any discipline.

   The admission will be conducted through entrance examination system. The applicants will have to undergo written test besides a group discussion and personality test cum interview. Since the medium of instruction and examination will be English, the candidates are expected to display adequate proficiency in it. After the written examination the number of candidates to be called for the group discussion and the personal interview will be four times the total number of seats. The marks allotted to written test, GD and Personality cum Interview will be 150, 25 and 25 respectively.

8. **Details of Course seats:** There will be maximum sixty seats for admission in the **MTA** course and maximum thirty seats each for '**P.G. Diploma in Tourism Studies**' and **'P.G. Diploma in Hospitality Management'.** The seats will be allocated as per Government Regulations. Thus, there will be 21 and 2 % seats for SC and ST respectively, 27 % reserved for OBC. Any vacancy there in will be filled as per the rules of reservation on the basis of merit. All students admitted will be governed by the same ordinance and rules.

9. **Details of Curriculum/Syllabus:** There will be 26 theory papers out of 36 including optional papers besides, the viva-voce, summer training report and the minor research project spread into total four semesters for passing the MTA course. Details of all these papers as per their names are as follows:

I Semester		**Marks**
Code 101	Principles and Concepts of Tourism and Management	100(70+30)
Code 102	Management of Tourism Industry	100(70+30)
Code 103	Introduction of Computers	100(70+30)
Code 104	Communication skill and Personality Development	100(70+30)
Code 105	Tourist Transportation	100(70+30)
Code 106	Indian History I and Archaeology	100(70+30)
Code 107	Indian Society and Culture	100(70+30)

II Semester		**Marks**
Code 201	Tourism Products	100(70+30)
Code 202	Tourism Marketing Management	100(70+30)
Code 203	Travel Agency and Tour Package Management	100(70+30)
Code 204	Hotel and Resort Management	100(70+30)
Code 205	Management Information System	100(70+30)
Code 206	Indian History II & Constitution	100(70+30)
Code 207	Air Travel Management	100(70+30)

III Semester		**Marks**
Code 301	Organizational and Consumer Behaviour	100(70+30)
Code 302	Geography of Tourism	100(70+30)
Code 303	Indian Art	100(70+30)
Code 304	Foreign Language (French/German/Japanese/Spanish/Russian)	100(70+30)
Code 305A	Accounting and Financial Analysis	100(70+30)
	OR	
Code 305B	International Financial Management	
	OR	
Code 305C	International Accounting	
Code 306A	Research Methodology in Tourism	100(70+30)
	OR	
Code 306B	Managerial Skills and Research Methodology	
	OR	
Code 306C	Surface Transport in Travel a Tourism	
	OR	
Code 306D	Management of Inbound and Outbound Tours	
Code 307	Training Report	100

IV Semester		**Marks**
Code 401	Emerging Trends in Tourism, Policy & Laws	100(70+30)
Code 402	Foreign Language (French/German/Japanese/Spanish/Russian)	100(70+30)
Code 403	International Tourism	100(70+30)
Code 404	Financial Management in Tourism	100(70+30)
Code 405A	Human Resource Management	100(70+30)
	Or	
Code 405B	Legal Framework governing Human Relations	
	Or	
Code 405C	Rural Tourism	

Code 406A Guiding skill and visitors Interpretation 100(70+30)

Or

Code 406B Cultural Tourism

Or

Code 406D Pilgrimage Tourism

Or

Code 406C Adventure and Wild life Tourism Management

Code 407 Dissertation & Viva-Voce 100(75+25)

Total Marks 2800

10. Details of Approval of Different Academic & Executive Bodies:

The **Ordinance** of the course and the institute was proposed and approved in the **Academic Council** dated **18.12.2001** to be subsequently approved in the **Executive Council** dated **17.03.2002.** Further, a few moderations in the names and order of the course papers of **MTA** course were approved in the **Academic Council** dated **29.10.2002** as per the recommendation of the **Governing Board** meeting of the Institute. The institute was renamed as '**Rashtraratna Babu Shivaprasad Gupta Institute of Tourism Studies'** in the **Academic Council** dated **18.04.2003.** A position of **Placement Officer** in the Institute was also created with the resolution of **Governing Board** of the Institute dated **22.12.2003** approved subsequently by the **Executive Council** meeting dated **20.03.2004** and **Finance Committee** dated **14.06.2004. 'Tourism and Travel Management'** as a subject at **Under-Graduation level** was also introduced from the **session 2005-2006** with the resolution of the **Governing Board** meeting of the Institute dated **21.02.2005** approved subsequently by the **Faculty Board** meeting of the **Faculty of Humanities** dated **27.04.2005** and **Academic Council** dated **23.03.2005.** Further, proposal for the creation of four positions of the lecturers besides some changes in the names and order of the courses of **MTA** was resolved in the **Governing Board** meeting of the Institute dated **08.04.2008.** These course-modifications and the statutory position of the Institute of Tourism Studies was resolved in the **Academic council** meeting of **30.12.2008** to be stated at **7.01 (j)** following **7.01 (i)** part of the first statutes of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith under the title **"Institute"** after **7.01 (h)** under **section 44** of the **UP State Universities Act 1973** to be subsequently approved by the **Executive Council** dated **22.05.09.**

11. Examination Rules:

For appearing in the Semester examination every student should have undergone all the sessional tests and must have attended at least 75% of the lectures in each paper of the Semester.

The evaluation of the student shall be done on the basis of the internal assessment and the Semester examination at the end of each Semester having a relative weightage of 30 and 70 in each paper respectively.

The marks of the **Internal Assessment** will be awarded on the following basis;

(i) Average of the marks of three Sessional tests:	20 Marks
(ii) Marks on other performances, general discipline etc.:	10 Marks
Total Marks:	30

Marks obtained in the Internal Assessment as regular students by the candidates of all categories shall remain and shall be counted in the computation of result.

The **Semester Examination** shall be held as per the academic calendar schedule. There shall be written examination of three hoursduration in each of the theory papers. Each paper will be allotted 70 marks. Each paper shall comprise both essay type and short answer type questions. All the questions will be compulsory with internal options. The question will be from all the units with equal distribution. The summer training report as the seventh paper of the third semester will be of full 100 marks. The Viva-Voce of the fourth semester shall be on the dissertation assigned to the student for full 100 marks (75 marks on dissertation and 25 marks on Viva-Voce).

A candidate will be declared to have passed a Semester examination if he/she secures not less then 40% marks in each individual paper and 50% marks in aggregate. The final result of the candidates shall be declared on the basis combined results of all semester examination. A candidate securing 75% or more marks in the combined aggregate of the semester examinations shall be declared to have passed with "Honours". A candidate having secured 60% marks or above shall be awarded First division and candidates securing 50% marks or more but less than 60% marks in aggregate shall be placed in Second division.

The following category of the students shall be eligible for the facility of *Back Paper:*

(a) Candidates declared to have passed a semester examination.

(b) Candidate who may have passed in individual paper but has failed in the aggregate Or, Candidate who fails in not more than two papers including Viva-Voce in a semester examination provided he/she has obtained 50% marks in aggregate.

A candidate declared to have passed a semester examination may have *opportunity to improve* his/her result by reappearing only in one paper in which he/she may have secured lowest marks in the next regular examination of that semester but not thereafter.

A candidate of category (b) of the Back Paper mentioned above shall be promoted to the next semester but he/she may be permitted to reappear in not more than those two papers in which he/she may have secured the lowest marks along with all the papers of the examination of the semester of which he/she is a regular student but not thereafter.
However, such a candidate may also have the option of appearing as a casual candidate in the examination of the semester concerned.

12. Details of Income Expenditure:

The Institute and the course belong to self finance scheme of the University and there will be no financial burden whatsoever on the University exchequer. There has to be a **separate bank account** of the Institute of Tourism Studies as per University rules.

Fee Structure: Tuition fee and other dues will be charged as per University rules and regulations as to be decided time to time.

a. Present Fee Structure: (MTA course)

Tuition Fee	**Rs. 13000.00/annum**
Field Work Fee	**Rs. 2000.00/annum**
Total Fee	**Rs. 15000.00/annum**

Accordingly Total Fee for **Two Year** Course will be **Rs. 30,000.00** excluding examination fee and other dues.

b. Number of Teaching Faculties: (MTA course)

Teaching Work-load for ten months

Total papers in MTA (Four Semesters) including optional papers	= **36**
Total number of lectures required for each paper	= 8**0**
Total number of lectures required for MTA	**36x80=2880**

Teachers required as per above work-load in a week:

Lecturers including one Placement Officer	**05 (04+01)**
Total work-load shared by one lecturer/week	**18 lectures**
Total work-load shared by four lecturers/week	**4x18=72lectures**
Total work-load shared by the lectures/month	**72x04 = 288 lectures**
Total work-load shared by the lectures in ten months	**288x10=2880 lectures**

Arrangement of Contractual Core-faculty and Guest-faculty and other positions may however be made as per University norms and rules about self-financed courses.

Position of a Placement Officer in the Institute has already been created with the resolution of Governing Board of the Institute dated 22.12.2003 approved subsequently by the Executive Council meeting dated 20.03.2004 and Finance Committee dated 14.06.2004.

c. **Revenue to be generated: (MTA course)**

Fee per head as tuition fees Rs. **13000 x 60 seats in first year**
= **Rs. 780000=00**
Fee per head as tuition fees Rs.**13000 x 60 seats in second year**
= **Rs. 780000=00**

Total tuition fee in a year		= **Rs. 1560000=00**
Development share of the University	**40 %**	**= Rs. 624000=00**
Departmental share	**60 %**	**= Rs. 936000=00**

Fee per head as field work Rs. 2000x60 seats in first year
= Rs. 120000=00
Fee per head as field work Rs. 2000x60 seats in second year
= **Rs. 120000=00**
Total fee of field work = **Rs, 240000=00**

Note: Field work fee will be exclusive for field work assignments, practical training, placement exercises, visits and interaction programme

to be utilized fully in the corresponding session. It is not to be accounted for development share of the University.

Total revenue in a year Rs. 1560000=00 + Rs.240000=00
= Rs.180000=00

Tentative expenditure breakup in a year from departmental share (60%)

a. **Recurring Expenditure:**
   Honorarium for teaching
   Office staff (one office assistant, one computer operator, one peon)
   Office stationary
   Telephone & Internet
   Advertising, brochures & Souvenirs
   Seminars & Conferences
   Orientation Lectures

b. **Non Recurring Expenditure:**

   Furniture & Equipments
   Books & Journals
   Building & Maintenance
   Computer Laboratory etc.

The fee structure and the details of income expenditure for the subject in Under-Graduation and P.G. Diploma courses will be decided as per the directions given by the University.

H.O.D. / Director   Dean

स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमः बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष
पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध

बी.ए. प्रथम वर्ष		**200 अंक**
प्रथम प्रश्नपत्र–	टूरिज़्म बिज़नेस	75 अंक
द्वितीय प्रश्नपत्र–	टूरिज़्म प्रोडक्ट्स आफ इंडिया	75 अंक
	व्यावहारिक (एसाइनमेंट्स, सेशनल वर्क एवं वायवा)	50 अंक

बी.ए. द्वितीय वर्ष		**200 अंक**
प्रथम प्रश्नपत्र–	टूरिज़्म मार्केटिंग	75 अंक
द्वितीय प्रश्नपत्र–	ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेटर बिज़नेस	75 अंक
	व्यावहारिक (फील्ड ट्रिप रिपोर्ट, एसाइनमेंट्स, सेशनल वर्क एवं वायवा)	50 अंक

बी.ए. तृतीय वर्ष		**300 अंक**
प्रथम प्रश्नपत्र–	इफेक्टिव टूरिज़्म डेवलपमेंट	75 अंक
द्वितीय प्रश्नपत्र–	इनफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ऑटोमेशन इन टूरिज़्म	75 अंक
तृतीय प्रश्नपत्र–	टूरिज़्म डायनेमिक्स इन ए डेवलपिंग रीजन– उ.प्र. और उत्तराखण्ड	75 अंक
	व्यावहारिक(जॉब ट्रेनिंग / प्रोजेक्ट रिपोर्ट / एसाइनमेंट्स, सेशनल वर्क एवं वायवा)	75 अंक

"Tourism & Travel Management''

Candidates, who opt Tourism & Travel Management subject, will have study the subject, for 3 years. Re organization of syllabus in the subject will be as follow:

B.A. I	**200 marks**
I Paper – Tourism Business	75 ,,
II Paper – Tourism Products of India	75 ,,
Practical (Assignments Sessional work & Viva)	50 ,,
B.A. II	**200 marks**
I Paper – Tourism Marketing	75 ,,
II Paper – Travel Agency & Tour Operation Business	75 ,,
Practical (Field Trip Report + Assignment & Sessional Work + Viva)	50 ,,
B.A. III	**350 marks**
I Paper – Effective Tourism Development	75 ,,
II Paper – Information Communication Automation in Tourism	75 ,,
III Paper – Tourism Dynamics in a Developing Region- U.P. Including Uttaranchal State	75 ,,
Practical (Job Training/ Project Report Assignments & Sessional Work + Viva)	75 ,,